

2/06/2020

तारीख रज.

सरिका उर्फ देवांशी

खनाम

गुंशी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायल ने शपथ पत्र 'नकल जमाबंदी' हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया के व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 362, 271, 272, 278, 354, 385, 386, 393, 302/421, 249, 260, 261, 262, 263, 157, वाके ग्राम खेरली तरफ रेला व आराजी खसरा नं. 204, शेखपुरा तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 29.09.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.09.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

29/9/20

19/3

उपस्थित अधिकारी
कटूमर (अलवर)

हुक्म देरीकेन एच.ए.ओ.
राज्य - काश्तकारी
कार्यवाही दिनांक 19-12-20
को पेश हो।

उपस्थित
साक्षिक आदेश दिनांक 28-7-20
की पालना में पत्रावली वास्ते 28-7-20
दिनांक 9/3/20 को पेश हो

उपस्थित अधिकारी
कटूमर (अलवर)

